


गांव को 'हर घर जल' घोषित करने की प्रक्रिया

(नटर्भ: पैरा 5.4, 'ग्राम पंचायत के लिए मार्गदर्शिका और ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वी.डब्ल्यू.एस.सी.' का घृण्ठ 53)

'ग्राम पंचायत एवं वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका' के प्रावधानके तहत गाँव में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण होने के बाद एक उद्घाटन/ कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिसमें उस गाँव के फ़िल्ड इंजीनियर एक रिपोर्ट और प्रमाणपत्र के आधार पर ग्राम सभा एक ठराव पास करेगी। उसके बाद ग्राम पंचायत / वी.डब्ल्यू.एस.सी.'हर घर जल' प्रमाण पत्र जारी करेगी :

जल जीवन मिशन
हर घर जल - प्रमाण पत्र
<p>मैं <u>कासमपुर गढ़ी</u>, सरपंच/अध्यक्ष, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति, <u>कासमपुर गढ़ी</u> ग्राम पंचायत, <u>बिलानीका</u> जिला, राज्य का <u>सरपंच</u> और मैं <u>गढ़ी</u>, पंचायत सचिव, प्रमाणित करता हूं कि गाँव के सभी घरों को नल बनेकर नल प्रदान कर दिया गया है। हर नल से पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से शुद्ध जल मिल रहा है। यह प्रमाणपत्र ग्राम सभा के संकल्प/ ठराव सं —, तारीख — के आधार पर आज <u>10/02/2022</u> जारी किया गया है।</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>हस्ताक्षर (सरपंच/ वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति के अध्यक्ष/ अध्यक्ष का नाम) आधिकारिक मुहर</p> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>हस्ताक्षर (ग्राम पंचायत का नाम) आधिकारिक मुहर</p> </div>

जे.डी.एम. ऐप में इस प्रक्रिया को शामिल किया गया है। संलग्नित पर्यावरणी अधिकारी/ फ़िल्ड इंजीनियर के प्रमाणपत्र तथा ग्राम सभा का संकल्प/ ठराव जिम्मानुसार हैं:

JECR
EE